दिनांक 04.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 06/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वर्चुअल कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से जनपद पीलीभीत में ई–ऑफिस प्रणाली लागू करते हुए शुभारंभ और उद्घाटन किया गया

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 04.03.2025 को वर्चुअल कान्फ्रेन्सिंग के मध्यम से पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के पर्यवेक्षण में जनपद पीलीभीत में क्रियान्वित ई–ऑफिस का उद्घाटन कर शुभारंभ किया गया।

ई–ऑफिस का उद्देश्य पुलिस विभाग के भीतर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना है, जिससे दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। पीलीभीत के सभी थानों व शाखाओं में ई–ऑफिस का कार्यान्वयन किया गया है। उद्घाटन के दौरान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 ने प्रौद्योगिकी को अपनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के प्रयासों की सराहना की गयी।

ई–ऑफिस एक digital workplace solution है। जिसका निर्माण NIC द्वारा किया गया है। ई–ऑफिस का विजन समस्त कार्यालय को सरलीकृत, उत्तरदायी, प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी कामकाज को प्राप्त करना है। यह केन्द्रीय सचिवालय नियमावली (CSMeOP) पर आधारित है ई–ऑफिस द्वारा कार्यालयो में की जा रही सम्पूर्ण कार्यवाही को कागजरहित तथा अत्यधिक तीव्र बनाये जाने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।

ई–ऑफिस के लाइव प्रजेंटेशन के दौरान पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा प्रधान कार्यालय में सुधार कार्य एवं अनुरक्षण हेतु एक पुलिस पेंशनर्स की 01 लाख 67 हजार रूपये की मेडिकल फाइल ई–आफिस के माध्यम से डिजिटली हस्ताक्षर कर जारी किया गया।

ई–ऑफिस की कार्यप्रणाली:–पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा जनपद पीलीभीत में e–office प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम प्रधान लिपिक कार्यालय व आंकिक शाखा में की गयी। जिसके सफल क्रियावन के उपरान्त जनपद के समस्त थाना व शाखाओं में ई–आफिस प्रणाली शत–प्रतिशत लागू करने हेतु आवश्यक उपकरण जैसे स्कैनर, लैपटॉप एवं अन्य उपकरण क्रय किये गये तथा जनपद में नियुक्त समस्त थाना प्रभारी, शाखा प्रभारी व उनके अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों की Gov ID व VPN तैयार कराया गया तथा समस्त प्रभारियों को ई–आफिस के माध्यम से हस्ताक्षर करने हेतु DSC

(Digital Signature Certificate) बनवाये गये। साथ ही जनपद में ई–ऑफिस के सफल क्रियान्वयन हेतु एक नयी शाखा का गठन किया गया जिसके द्वारा समस्त प्रकार की प्राप्त डाक को डिजिटली पंजीकरण कर ई–आफिस के माध्यम से सम्पूर्ण जनपद को वितरित करेगा और जनपद पीलीभीत को डिजिटलाइज करने में अहम भूमिका निभायेगा। जनपद में ई–ऑफिस को पूर्ण रूप से लागू करने के लिये समस्त अधिकारी व कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों को ई–ऑफिस का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रणाली के तहत आने वाले पत्राचार की स्कैनिंग और पंजीकरण के साथ–साथ पत्रावली बनाने, नोटिंग, रेफरेंसिंग, पत्राचार संलग्नकों, अनुमोदनार्थ आलेखों और अन्ततोगत्वा पत्रावलियों के साथ–साथ प्राप्तियों के संचरण समस्त कार्यवाही कागज रहित व इलेक्ट्रॉनिक ई–ऑफिस के माध्यम से की जायेगी। ई–ऑफिस प्रक्रिया से न सिर्फ दस्तावेजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की झंझट से मुक्ति मिलेगी बल्कि कीमती समय की भी बचत होगी।

मोटी–मोटी फाइलों का जमाना गुजरे जमाने की बात–पुलिस अधीक्षक पीलीभीत ने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी के डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए जिले में ई–ऑफिस प्रणाली को शत प्रतिशत लागू किया गया है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस में तकनीकी सुधार और आधुनिकीकरण की दिशा में बड़े कदम उठाये गए हैं। इस पहल के तहत थानों में मोटी–मोटी फाइलों का जमाना खत्म होगा और ई–ऑफिस प्रणाली के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा।

पुलिसकर्मियों को दी गई ई–ऑफिस की ट्रेनिंग, थानों को उपलब्ध कराए गए तकनीकी उपकरण–पुलिस अधीक्षक पीलीभीत ने बताया कि ई–ऑफिस प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों को ई–ऑफिस की तकनीकी जानकारी दी गई है। यह प्रणाली एनआईसी (नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर) द्वारा तैयार की गई है और यह केन्द्रीय सचिवालय नियमावली (CSMeOP)पर आधारित है। उन्होंने बताया कि ई–ऑफिस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जिले में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है।

लंबित शिकायतों के निपटारे में आएगी और तेजी, मिलेगा त्वरित न्याय– ई–ऑफिस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य फाइलों और डेटा के डिजिटल प्रबंधन के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता लाना है। यह प्रणाली शिकायतों और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को तेज बनाएगी, जिससे जनता को त्वरित न्याय मिल सकेगा। साथ ही डिजिटल फाइल के जरिये मॉनिटरिंग से अधिकारियों को कार्यों पर नजर रखने

और निर्णय प्रक्रिया को सुगम बनाने में काफी मदद मिलेगी। वहीं ई–ऑफिस प्रणाली लागू होने से जनता को भी कई लाभ होंगे। इससे थानों में लम्बित शिकायतों के निपटारे में देरी नहीं होगी और रिपोर्टिंग प्रक्रिया पारदर्शी के साथ समयबद्ध होगी। इसके अलावा थानों और जिला कार्यालयों में भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी। इससे न केवल पुलिसकर्मियों का कार्यभार कम होगा, बल्कि आमजन को पुलिस विभाग से जुड़ी सेवाओं का लाभ तेजी और पारदर्शी तरीके से मिलेगा।

INAUGURATION!
eOffice
BY
Sh. PRASHANT KUMAR
I.P.S.
D.G.P. UTTARPRADESH
Dated : 04.03.2025
VIKRAM DAHIYA
I.P.S.
Add.S.P. PILIBHIT
AVINASH PANDEY
I.P.S.
S.P. PILIBHIT

दिनांक 04.03.2025	
प्रेस विज्ञप्ति 07/2025	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

इंस्टाग्राम पर आत्महत्या संबंधी वीडियो का संज्ञान लेकर तत्काल वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति के प्राणों की रक्षा हेतु की गई काउंसलिंग

दिनांक 03–03–2025 को जनपद बुलंदशहर के थाना पहासू क्षेत्र निवासी 26 वर्षीय, किराना की दुकान चलाने वाले व्यक्ति द्वारा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने संबंधी वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड की गयी थी। उक्त वीडियो के संबंध में दिनांक 03–03–2025 को समय 18:36 बजे मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई–मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ, जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया।

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया । मेटा कंपनी द्वारा भेजे गए अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति की लोकेशन की जानकारी कर जनपद बुलंदशहर को तत्काल समय 18:52 पर प्रकरण से अवगत कराया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना पहासू द्वारा तत्काल पीड़ित के घर पहुंचकर पीड़ित युवक की समस्या की जानकारी एवं काउंसलिंग की गई, जिस पर युवक द्वारा बताया गया कि उसका अपनी पत्नी से विवाद हो गया था तथा विवाद के उपरान्त वह हमारे 03 वर्षीय बच्चे को घर पर छोड़कर अपने मायके चली गयी थी, इससे व्यथित होकर मैंने उक्त वीडियो इन्स्टाग्राम पर अपलोड कर दिया गया था। थाना प्रभारी द्वारा की गयी काउंसलिंग के उपरांत उक्त युवक द्वारा आत्महत्या के विचार को त्याग कर भविष्य में इस प्रकार की पोस्ट नहीं किये जाने का आश्वासन दिया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई–मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है। दिनांक 01–01–2023 से 28–02–2025 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 775 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है।

दिनांक 04.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 08/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला चार कटेगरी में फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवॉर्ड (Smart Policing Award)

आज दिनांक 04.03.2025 को फिक्की फडरेशन हाउस नई दिल्ली में फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवॉर्ड के अन्तर्गत आयोजित सम्मान समारोह में उ0प्र0 पुलिस को चार कटेगरी में FICCI (Fedaration of Indian chambers of Commerce and industry) द्वारा FICCI Smart Policing Award प्रदान किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः–

Name of the Initiative	Category	Concerned Official
Trinetra 2.0	Crime Investigation & Prosecution	1-Mr Prashant Kumar, DGP, 2- Mr Amitabh Yash, ADG, L&O & UP STF, 3- Mr Deepak Kumar Singh, DSP, UP STF
Crime Analytics & Predictive Policing Portal	Surveillance & Monitoring	Mr Naveen Arora, ADG, Technical Services
Operation Jagriti	Women Safety	Ms Anupam Kulshreshstha, ADG Agra Zone
Aapda Mitra	Disaster & emergency response	Dr Satish Kumar, Commandant

उल्लेखनीय है कि फिक्की अवॉर्ड हेतु नामित 16 राज्य पुलिस बलो 6 सीएपीएफ व अन्य केन्द्रिय एजेन्सियों सहित 23 संगठनो की 129 प्रविष्टिया प्राप्त हुई जिनमें **उ0प्र0 पुलिस को सबसे अधिक उक्त चार स्मार्ट पुलिसिंग पुरस्कार से** सम्मानित किया गया। जिसके मुख्य अतिथि श्री जीके पिल्लई पूर्व केंद्रीय गृह सचिव रहें।

श्री प्रशांत कुमार पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 और श्री अमिताभ यश एडीजी कानून–व्यवस्था को **'त्रिनेत्र 2.0'** पहल के लिए सम्मानित किया गया। श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एडीजी आगरा जोन को उनकी महिला सुरक्षा पहल **'ऑपरेशन जागृति'** के लिए, श्री नवीन अरोड़ा एडीजी तकनीकी को **'क्राइम एनालिटिक्स और प्रिडिक्टिव पुलिसिंग पोर्टल'** के लिए तथा श्री सतीश कुमार कमांडेंट एसडीआरएफ लखनऊ को **'आपदा मित्र'** पहल के लिए फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया।

त्रिनेत्र 2.0:—एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो उत्तर प्रदेश पुलिस को अपराध की रोकथाम, पता लगाने और जांच में मदद करता है। यह एकीकृत खोज और प्लेटफ़ॉर्म विश्लेषण प्रदान करने के लिए सीसीटीएनएस, ई—वाहन, ई प्रिसोम, त्रिनेत्र जैसे संरचित और असंरचित डेटा स्रोतों और पाठ, छवियों, वीडियो और स्थान डेटा जैसे विविध डेटा प्रकारों को एकीकृत करता है।

यह क्राइम एनालिसिस एवं क्राइम कलेक्शन का बड़ा माध्यम है जिसमें जनरेटिव एआई तकनीकी के माध्यम से जेपीटी का फीचर उपलब्ध है जिससे अपराधियों के बारे में प्रश्नोत्तर के रूप में भी जानकारी की जा सकती है, इसमें आवाज के माध्यम से क्रिमिनल का डाटा बेस तैयार किया जा रहा है जो भविष्य में साइबर अपराध के रोकथाम के लिए बहुत उपयोगी होगा साथ ही ग्राउण्ड जीरो पर काम करने वाले पुलिस कार्मियों के लिए चेहरे की पहचान की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, जिससे मौके पर संदिग्ध की फोटो खीच कर उसका अपराधिक इतिहास जाना जा सकता है जिसमें अपराध के आधार पर गैंग एनालिसिस की सुविधा उपलब्ध है।

उक्त डिजिटल प्लेटफार्म को तैयार किये जाने में यूपी पुलिस व यूपी एसटीएफ द्वारा तैनात एक उन्नत एआई, संचालित अपराध जाँच प्रणाली त्रिनेत्र 2.0 ने अपराध जाँच और अभियोजन श्रेणी में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

'क्राइम एनालिटिक्स और प्रिडिक्टिव पुलिसिंग पोर्टल'ः—उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विकसित "Crime Analytics & Predictive Policing Portal" को Surveillance & Monitoring के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर FICCI SMART Policing Awards द्वारा सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के मार्गदर्शन और श्री नवीन अरोड़ा अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएँ की अवधारणा एवं नेतृत्व में विकसित इस अत्याधुनिक प्रणाली की सफलता को दर्शाता है।

यह इन—हाउस शून्य लागत पर विकसित पोर्टल अपराध की समयबद्ध रोकथाम, विश्लेषण और संसाधनों के प्रभावी उपयोग एवं डाटा ड्रिवन अपराध रोकथाम की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला साबित हुआ है। इससे उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी सक्षमता, नवाचार और प्रभावी क्राइम मैनेजमेंट की दिशा में किए गए प्रयासों को मान्यता मिली है। उत्तर प्रदेश पुलिस का यह सम्मान प्रदेश में मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कानून—व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के संकल्प को और सुदृढ़ करता है।

इसका विकास और प्रबंधन श्रीमती तरु माथुर (प्रोग्रामर ग्रेड—II) एवं श्री अर्पित गुप्ता (कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्रेड—बी) द्वारा किया गया, जिन्होंने इसे शून्य लागत पर विकसित किया और उत्तर प्रदेश पुलिस को डाटा—ड्रिवन अपराध रोकथाम की दिशा में नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया।

ऑपरेशन जागृतिः—यह अवार्ड आगरा जोन में चलाए गए अभियान (Intensive Community Outreach for Empowering Women & Safety and Awareness) कार्यक्रम के लिए वूमेन सेफ्टी कैटेगरी में दिया गया है। ऑपरेशन जागृति अभियान श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ अपर पुलिस महानिदेशन आगरा जोन के निर्देशन व यूनीसेफ के कॉर्डिनेशन में आगरा जोन के समस्त सात जनपदों के 62 ब्लाक तथा लगभग 4000 ग्राम पंचायतों में 1 नबम्बर 2023 को जनपद मथुरा से शुभारम्भ कर चलाया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। यह अभियान अब तक तीन फेज में चलाया गया है। इस अभियान के फेज–01 के उपरान्त कुल महिला सम्बन्धी अपराध में लगभग 18 प्रतिशत व फेज–02 के उपरान्त कुल महिला सम्बन्धी अपराध में लगभग 35 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। IIM Indore द्वारा असेसमेंट रिपोर्ट में इस अभियान की तारीफ करते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया कि ऑपरेशन जागृति ने जमीनी स्तर पर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डाला है। ऑपरेशन जागृति में विभिन्न विभागों के अग्रणी/जमीनी कर्मचारियों जैसे– बीट कॉस्टेबलों (पुलिस विभाग), आशा (स्वास्थ्य विभाग), शिक्षक (शिक्षा विभाग), पंचायत सचिव (पंचायत विभाग) आदि का उपयोग करते हुए समाज के कमजोर वर्गो तक एक व्यापक और प्रभावी पहुँच सुनिश्चित की और साथ ही सभी सरकारी विभागों के बीच सामंजस्यपूर्ण समन्वय का निर्माण किया। इसमें विभिन्न विभागों के प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक स्पष्ट भूमिका थी, साथ ही एक स्पष्ट उत्तरदायित्व भी था और एक सतत Feedback तंत्र भी था। कार्यक्रम के दौरान प्रकाश में आईं Success Stories और व्यापक मीडिया प्रशंसा इस कार्यक्रम के प्रभाव को इंगित करती है।

आपदा मित्रः—इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक स्वयंसेवकों को वह कौशल प्रदान करना है जिनकी उन्हें किसी आपदा के उपरान्त अपने समुदाय की तत्काल जरूरतों पर प्रतिक्रिया देने के लिए आवश्यकता होगी, जिससे वे बाढ़, आकस्मिक बाढ़ और शहरी बाढ़ जैसी आपातकालीन स्थितियों के दौरान बुनियादी राहत और बचाव कार्य करने में सक्षम हो सकें।

राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि एवं राज्य आपदा मोचन निधि से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित 12 दिवसीय आवासीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें उन्हें सैद्धांतिक और व्यावहारिक कक्षाओं में आपदा प्रबंधन और जीवन रक्षक कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण के साथ उन्हें एसडीआरएफ यूपी द्वारा उत्कृष्ट मानक छात्रावास, भोजनालय, खेल, सांस्कृतिक और पाठ्येतर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस एसडीआरएफ ने यूपी एसडीएमए के साथ समन्वय स्थापित कर समुदाय को स्वयं सशक्त बनाकर आपदा से निपटने में लगने वाले समय को कम करने में मदद करने के लिए 12 दिनों के इस पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण डिजाइन तैयार किया गया है।

श्री सतीश कुमार कमांडेंट एसडीआरएफ लखनऊ उत्तर प्रदेश के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश एसडीआरएफ ने 25 अत्यधिक बाढ़ संभावित जिलों के लिए एनडीएमए द्वारा 10200 और यूपी के शेष 50 जिलों को कवर करते हुए यूपीएसडीएमए के माध्यम से यूपी सरकार द्वारा 11099 (1000 (पीआरडी) 100 (क्षेत्रीय 3868 (होमगार्ड्स), 631 (आपदा मित्र) + 5500 (मंगल दल)) को प्रशिक्षित किया गया है। अब तक लगभग 21 हजार आपदा मित्र/आपदा सखी को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

THANK YOU PARTNERS
FICCI
SMPP
mahindra
DEFENCE
CP PLUS
2025

DEFENCE
ZEN TECHNOLOGIES LIMITED
FICCI
8th Edition
Tuesday, 4 March 2025
Silver Partner
CP PLUS
RAVI JOSEPH LOKKU

FICCI
HOMELAND SECURITY 2025
&
FICCI SMART POLICING AWARDS
8th Edition
Tuesday, 4 March 2025 | New Delhi
THANK YOU PARTNERS
SMPP
mahindra DEFENCE
ZEN TECHNOLOGIES LIMITED
CP PLUS

दिनांक 04.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 09/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद बरेली/थाना फतेहगंज पश्चिमी</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 28 हजार 300 रूपये नगद**
- **पीली धातु के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 04.03.2025 को थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम अगरास से एएनए वाले मार्ग पर बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शेर सिंह उर्फ शेरा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 28 हजार 300 रूपये नगद, पीली धातु के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना फतेहगंज पश्चिमी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—शेर सिंह उर्फ शेरा निवासी ग्राम बारीनंगला थाना कैन्ट जनपद बरेली।

बरामदगी

1– लूट के 28 हजार 300 रूपये नगद

2–पीली धातु के आभूषण।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बाराबंकी/थाना रामनगर

- **15–15 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.03.2025 को थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–सलमान 2–जावेद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रामनगर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15–15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सलमान निवासी मो0 रामनगर थाना सहादतगंज, लखनऊ।

2–जावेद निवासी मो0 रामनगर थाना सहादतगंज, लखनऊ।

जनपद कानपुर देहात/थाना गजनेर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के 06 हजार रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 04.03.2025 को थाना गजनेर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रठगॉव नबीपुर मार्ग बगिया शिव मंदिर के पास से 04 अभियुक्तों 1– सूरज 2– राज

3–विकास 4–आकाश को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 06 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना गजनेर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गजनेर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सूरज निवासी ग्राम मोहाना थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।

2–राज निवासी ग्राम चितरिया थाना गजनेर कानपुर देहात हाल पता टाइप–2 कालोनी यूपीएसआईडीसी जैनपुर कालोनी अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

3–विकास ग्राम चितरिया थाना गजनेर कानपुर देहात।

4–आकाश निवासी ग्राम कोरारी थाना गजनेर थाना कानपुर देहात।

बरामदगी

1–लूट के 06 हजार रूपये नगद।

2–01 मोबाइल फोन।

3–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस आदि।

कमिश्नरेट आगरा/थाना सिकंदरा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 3 लाख 40 हजार रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 04.03.2025 को थाना सिकंदरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जे0सी0बी0 चौराहा से अभियुक्त हरवीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 3 लाख 40 हजार रूपये नगद आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना सिकंदरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिकंदरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सिकंदरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– हरवीर निवासी ग्राम कराहरा थाना किरावली जनपद आगरा।

बरामदगी

1–चोरी के 3 लाख 40 हजार रूपये नगद आदि।

जनपद मेरठ/थाना लोहिया नगर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **13 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 04.03.2025 को थाना लोहिया नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हुमायूँ नगर गली नं0–3 में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त मुईज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 13 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना लोहिया नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– मुईज निवासी गली नं0–3 हुमायूँ नगर थाना लोहिया नगर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–13 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद मथुरा/थाना छाता

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **07 निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **07 अवैध जीवित कारतूस, 04 खोखा कारतूस 315 बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 03.03.2025 की रात्रि थाना छाता व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दद्दी गढ़ी से पहले नाले के किनारे पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त 1–रोहित 2–हेमन्त घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 07 निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 07 अवैध जीवित कारतूस, 04 खोखा कारतूस 315 बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना छाता पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहित निवासी नगला लोका थाना महावन जनपद मथुरा।

2–हेमन्त निवासी दीपपुरम कालोनी औरंगाबाद थाना सदर बाजार जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–07 निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–07 अवैध जीवित कारतूस, 04 खोखा कारतूस 315 बोर।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद फतेहपुर/थाना खखरेरू

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 04.03.2025 को थाना खखरेरू व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान हरिचन्दपुर मोड़ के पास बदमाश की

घेराबंदी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त रामू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना खखरेरू पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– रामू निवासी भीमपुर उर्फ मंझनपुर थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद जौनपुर/थाना मड़ियाहूँ

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **50 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **01 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद**

दिनांक 04.03.2025 को थाना मड़ियाहूँ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त प्रदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 50 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना मडियाहूँ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– प्रदीप निवासी ग्राम हथेरा थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1–50 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–01 स्विफ्ट डिजायर कार।

जनपद फिरोजाबाद/थाना दक्षिण

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 किलो 648 ग्राम अवैध चरस**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 03.03.2025 को थाना दक्षिण पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे लाइन मुरली नगर के पास से अभियुक्त शिवम उर्फ शिवा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 किलो 648 ग्राम अवैध चरस, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना दक्षिण पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवम उर्फ शिवा निवासी हाल पता सुहाग नगर थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद मूल निवासी ग्राम रूपसपुर ठार मेवाराम थाना लाइनपार जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–01 किलो 648 ग्राम अवैध चरस।

2–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

बुलन्द"ाहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय बुलन्द"ाहर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा–302/149/147/148/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सोनू 2–धीरज 3–गोपाल 4–योगे"ा 5–विपिन को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना मझगवां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय हमीरपुर द्वारा थाना मझगवां पर पंजीकृत अभियोग में धारा–302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामस्वरूप को आजीवन कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एस0टी0एफ0–असलहा तस्कर गिरोह का सदस्य एवं जनपद–लखनऊ से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त साहब मिश्र उर्फ मनोज कुमार जनपद सुलतानपुर से गिरफ्तार।</u>

दिनांक 03–03–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को असलहा तस्कर गिरोह का सदस्यएवं जनपद–लखनऊ से रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त साहब मिश्र उर्फ मनोज कुमार को जनपद सुलतानपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–</u>

साहब मिश्र उर्फ मनोज कुमार पुत्र नरेन्द्र प्रसाद नि0 ग्राम बैंतीखुर्द, तमरसेपुर, थाना चान्दा, जनपद सुलतानपुर। उम्र लगभग 36 वर्ष।

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–</u>

ग्राम बैंतीखुर्द, तमरसेपुर, थाना चांदा, जनपद सुलतानपुर। दिनांक 03–03–2025 समयः 23.55 रात्री को।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ला, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार, मुख्यआरक्षीगण बरनाम सिंह, मुनेन्द्र सिंह, यषवन्त कुमार सिंह, का0 अजीत सिंह मय चालक त्रिदेव मिश्र की टीम जनपद सुलतानपुर में भ्रमणषील थी, इस दौरान विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ कि असलहा तस्करी करने वाले गिरोह का सदस्य एवं जनपद लखनऊ के थाना पारा, लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 391/2024 धारा 25(8) आयुध अधि0 में वांछित रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित अभियुक्त साहब मिश्र उर्फ मनोज कुमार थानाक्षेत्र चान्दा जनपद सुलतानपुर में मौजूद है। इस सूचना पर एसटीएफ द्वारा ग्राम बैंतीखुर्द, तमरसेपुर, थाना चांदा, जनपद सुलतानपुर। से अभियुक्त उपरोक्त को आवष्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह 2021 से अवैध शस्त्र फैक्ट्रीमेड पिस्टल की तस्करी के कार्य में संलिप्त था। वह अवैध शस्त्रों को मनीष गुप्ता के माध्यम से मंगवाता था, जिस हेतु प्रति पिस्टल रू0 20,000 के हिसाब से मनीष गुप्ता से खरीद कर प्रदेष के विभिन्न जनपदों में 30 हजार में सप्लाई करता रहा हूँ। मनीष गुप्ता ग्वालियर, मध्य प्रदेष निवासी खरगौन, मध्य प्रदेष के किन सिंह सरदार से अवैध शस्त्र लेकर सप्लाई करता है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24—07—2024 को अवैध पिस्टलों के साथ मनीष गुप्ता व शैलेन्द्र शर्मा को एसटीएफ उ0प्र0 द्वारा 08 पिस्टल व 16 मैगजीन के सहित गिरफ्तार उनके विरूद्ध मु0अ0सं0 391/2024 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग थाना पारा, कमिष्नरेट लखनऊ में पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना के क्रम में अभियुक्त उपरोक्त वांछित एवं पुरस्कार घोषित चल रहा था।

साहब मिश्र उर्फ मनोज कुमार का अबतक का ज्ञात आपराधिक इतिहासः—

1— मु0अ0सं0 529/2014 धारा 302, 34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना चांदा, सुलतानपुर।

2— मु0अ0सं0 18/2018 धारा 323/504/506 भादवि थाना चांदा, सुलतानपुर।

3— मु0अ0सं0 226/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 120बी भादवि, थाना चांदा, सुलतानपुर।

4— मु0अ0सं0 391/2024 धारा 25(8) आयुध अधि0, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।

उपरोक्त गिरफ्तार को थाना पारा, जनपद लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 391/2024 धारा 25(8) आयुध अधि0 में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना पारा, जनपद लखनऊ द्वारा की जायेगी।

———————